# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या/04/2025

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

..........प्रार्थी0

**बनाम**

1– दुर्गा पुत्र धनसिंह जाति कोली साकिन टोहिला हाल आबाद नदबई – **(मृतक)**

1/1 गुलकंदी पत्नि स्व0 दुर्गा
1/2 जगन पुत्र स्व0 दुर्गा
1/3 रामदयाल पुत्र स्व0 दुर्गा
1/4 बहादुर पुत्र स्व दुर्गा
} निवासी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास नदबई

1/5 भगवान देई पत्नि राजू पुत्री स्व0 दुर्गा जाति कोली निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर

2– दीपचन्द पुत्र धनसिंह जाति कोली – **(मृतक)**

2/1 मांगलिया पत्नि स्व दीपचन्द – **(मृतक)**

2/2 छीतर पुत्र स्व0 दीपचन्द निवासी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास नदबई

2/3 सोना पत्नि रमेश पुत्री स्व0 दीपचन्द निवासी सराय मौहल्ला डीग

3– प्रेम पुत्री धनसिंह जाति कोली निवासी टोहिला हाल आबाद नदबई – **(मृतक)**

3/1 भजनलाल
3/2 लालसिंह
3/3 जगदीश
3/4 केहरी
3/5 कुलदीप
} पिसरान स्व0 प्रेम जाति कोली निवासी जरहरा तहसील कुम्हेर हाल जिला डीग

3/6 रघुवीरी पत्नि उदयसिंह पुत्री स्व0 प्रेम जाति कोली निवासी सामरा तहसील किरावली आगरा

3/7 अनोखी पत्नि जगदीश पुत्री स्व0 प्रेम जाति कोली निवासी दौलतपुर चिकसाना तहसील भरतपुर

4– पीतम पुत्र धनसिंह जाति कोली साकिन टोहिला हाल आबाद नदबई – **(मृतक)**

4/1 अंगूरी पत्नि स्व0 पीतम

4/2 लेखराज पुत्र स्व0 पीतम

4/3 पूरन पुत्र स्व0 पीतम

4/4 सुन्दर पुत्र स्व0 पीतम

4/5 हरदेव पुत्र स्व0 पीतम – **(मृतक)**

4/5/1 हरदेई पत्नि स्व0 हरदेव
4/5/2 हरिमोहन पुत्र स्व0 हरदेव
} निवासी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास नदबई

........2

जिला कलक्टर

4/5/3 ओमवती पत्नि हरीचन्द पुत्री स्व0 हरदेव निवासी कच्चा तालाब होडल हरियाणा

4/6 रमेश पुत्र स्व0 पीतम – (मृतक)

4/6/1 रामदेई पत्नि स्व0 रमेश
4/6/2 गुलाब पुत्र स्व0 रमेश
4/6/3 विष्णु पुत्र स्व0 रमेश
} निवासी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास नदबई

4/6/4 ममता पत्नि धनीराम पुत्री स्व0 रमेश निवासी हनुमान मंदिर के पास, बाईपास मण्डावरा रोड, पटेल नगर, हिण्डौन जिला करौली

4/6/5 सुषमा पत्नि नरेश कुमार महावर पुत्र स्व0 रमेश निवासी मैन मार्केट पावटा तहसील महुआ जिला दौसा

4/6/6 मीना पत्नि मोहन सिह उर्फ मोनू पुत्री स्व0 रमेश निवासी कोलीपाडा वार्ड नं. 5 ब्रहम्बाद तहसील बयाना

4/7 वीरवती पत्नि राजेन्द्र पुत्री स्व0 पीतम जाति कोली निवासी डांडो मौहल्ला, किशनापुरी चौराहा मथुरा उत्तरप्रदेश

5– मनोहरी पुत्र धनसिंह जाति कोली साकिन टोहिला हाल आबाद नदबई

6– राजवती पुत्री धनसिंह जाति कोली साकिन टोहिला हाल आबाद नदबई

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू –आंबटन नियम 1970),

–––––––

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार, प्रार्थी,

2–श्री गांधीदेव अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5, 6, 3/4,

**निर्णय** दिनांक 19.9.2025

प्रार्थी तहसीलदार नदबई ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है जमांबदी संवत् 2073–76 ग्रांम अटारी तहसील नदबई के खाता संख्या 384 में आराजी खसरा नम्बर 850/0.35 है0, किस्म भूमि चाही सोयम पर दुर्गा पुत्र धनसिंह वगे. जाति कोली निवासी टोहिला हाल आबाद नदबई गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। सम्वत् 2060 मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नं.

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

850/0.35 है0, का गत खसरा नं. 1286 मि0 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा का साबिक खसरा नं. 1122 मि. रकबा 1 बीघा 10 है। आदेश दिनांक 29.9.1972 को आवंटन होने पर खसरा नं. 1286 में रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा पर जरिये नामान्तकरण संख्या 12 दिनांक 10.9.1976 से धनसिंह पुत्र बुद्धि कौम कोली बिस्वा ग्रांम टोहिला गैर खातेदार दर्ज हुआ है। आवंटी धनसिंह पुत्र बुद्धि जाती कोली के फौत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 10.12.2001 से इसके वारिसान नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। मिसल सम्वत 2028 के अनुसार उक्त आवंटित आराजी भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। आवंटी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जो प्रतिवंधित श्रेणी में आती है जिसका आवंटन नहीं हो सकता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमं 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 निरस्त किया जाकर आराजी को किस्म चारागाह घोषित करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 3/4 की ओर से एड. गांधी देव उपस्थित आये। शेष अप्रार्थीगण व्यक्तिशः उपस्थित आये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाब को कई मौके दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी0 की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया इस पर जबाब अप्रार्थी0 बन्द कर, पत्रावली बहस में नियत की गई। वक्त बहस नियत तरीख को शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी पेरोकार सरकार एवं उपस्थित अप्रार्थी अभिभाषक श्री गांधीदेव की बहस सुनी गईं.

प्रार्थी पेरोकार ने प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आवंटी धनसिंह पुत्र बुद्धी कौम कोली निवासी टोहिला एवं उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पैरोकार सरकार का यह भी कहना है कि वक्त आवंटन विवादित आराजी की किस्म चारागाह थी और ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं जिनका आवंटन नहीं किया जा सकता है। पैरोकार सरकार ने अन्त में प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी श्री गांधी देव ने जाहिर किया कि अगर विवादित आराजी चारागाह है तो श्रीमान नियमों के तहत जो भी हो उचित निर्णय किया जावे।

.......4

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। उपस्थित योग्य अभिभाषक के कथन पर गौर किया गया। शेष अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये हैं, परन्तु उन्होनें कोई जबाब पेश नहीं करना और वक्त बहस उपस्थित नहीं आना अप्रत्यक्ष रुप से यह जाहिर करता है कि अप्रार्थीगण को, तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 14(4) में प्रार्थी ने हाल आराजी खसरा नम्बर 850/0.35 की भूमि किस्म पूर्व में राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज होना बताते हुये, विवादित आराजी का किया गया आवंटन दिनांक 29.9.72 को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की गई है। पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज वगे. का अध्ययन किया गया। सत्यप्रतिलिपि आंवटन आदेश दिनांक 29.9.72 का अवलोकन किया गया, उक्त आवंटन आदेश दिनांक 29.09.72 में अन्य व्यक्तियों के साथ नम्बर 14 पर दर्ज धनसिंह पुत्र बुद्धी कोम कोली सा. टोहिला को गत आराजी खसरा नम्बर 1122 मि. रकवा 1 बीघा 10 विस्वा, का आवंटन किया गया है। नामान्तकरण संख्या 12 तारीखी 10.9.76 जो कि आवंटन आदेश की पालना में धनसिंह पुत्र बुद्धी कोम कोली सा. टोहिला के हक में गत खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बर 1286 कि. रकवा 1 बीघा 8 विस्वा का खोला गया है, के कॉलम संख्या 5 व 6 में हो रहे अंकन से स्पष्ट है कि आवंटित खसरा नम्बरान के पूर्व खसरा नम्बर 1122 रकवा 1 बीधा 8 विस्वा की भूमि किस्म कॉलम सिवायचक चारागाह दर्ज है। यानि वक्त आवंटन विवादित आराजी भूमि की किस्म चारागाह दर्ज थी। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सं0 2045 ग्रांम अटारी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1286 की भूमि किस्म चारागाह दर्ज है। आवंटी धनसींगा पुत्र बुद्धी के फोत होने के बाद जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 10.12.2001 से विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1286 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा पर उसके वारिसान अप्रार्थी0 को गैर खातेदार किया गया है। यह निर्विवाद है कि हाल विवादित आराजी खसरा नम्बर 850/0.35 ग्रांम अटारी तहसील नदबई की भूमि किस्म चारागाह थी। ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिवन्धित श्रेणी में आती है, ऐसी भूमियों पर किसी प्रकार से आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 प्रचलित कानून के विपरीत होने से.क्रम संख्या 14 पर दर्ज आवंटी धनसींगा पुत्र बुद्धी जाति कोली को किया गया आवंटन निरस्त योग्य रहता है तथा आवंटी की मृत्यू के पश्चात उसके वारिसान के नाम खोला गया नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 10.12.2001 ग्रांम अटारी शून्य हो जाने से काविल खारिज के रहता है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.......5

प्रा0पत्र 14(4) संख्या / 04 / 2025
सरकार जरिये तहसीलदार नदबई बनाम दुर्गा वगै0

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 में क्रम संख्या 14 पर दर्ज आवंटी धनसींगा पुत्र बुद्धी कोम कोली ,निवासी टोहिला का आवंटन निरस्त किया जाता है। स्व0 धनसींगा पुत्र बुद्धी जाती कोली के वारिसान अप्रार्थीगण के हक में स्वीकार किया गया विरासतन नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 10.12.2001 निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण गैर खातेदारी इन्द्राज कलमजन किये जाकर विवादित आराजी पूर्वत चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। निणर्य की प्रति तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल ज़मान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर